न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2009/07

1. नन्दकिशोर
2. रूपचन्द पिसारान श्री छोटेदास जाति बैरागी निवासीगण हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूदास आत्मज श्री मोतीदास उर्फ कल्याणदास जाति बैरागी निवासी ग्राम हनोतिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 04.02.2009 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी (प्रतिवादी) ने परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.12.2007 को निर्णय पारित किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी जिसकी पालना में इंतकाल संख्या 379 सहवन से बिना इजराय के दर्ज कर दिया गया । न्यायालय के आदेश दिनांक 31.12.2007 को अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

द्वारा दिनांक 08.09.2008 को निरस्त फरमा दिया है जिससे विवादित भूमि दिनांक 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी दिनांक 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जावे।

3. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2009 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी के दिनांक 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया ।

4. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2009 से व्यथित होकर वादीगण कम 1 व 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण विचाराधीन होते हुए वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण विचाराधीन होते हुए वादग्रस्त आराजी को रेस्पोडेन्ट के खाते दर्ज करने में त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित रिमाण्ड आदेश में दिये गये निर्देश की पालना कर प्रकरण को अंतिम रूप से निस्तारित करना चाहिए था । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2009 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एंव 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2007 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2007 के व्यथित होकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । प्रतिवादी रस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी की 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कथन किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर दिनांक 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04. 02.2009 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में सीपीसी की धारा 144, आरआरटी 2012 (2) पेज 830, आरआरटी 2018 (1) पेज 383, आरआरडी 1994 पेज 161 उद्वरत की ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक मनन किया । वादीगण अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एंव 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2007 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री कर दिया । उक्त निर्णय एवं डिक्री की पालना में इंतकाल संख्या 379 दर्ज कर दिया गया । निर्णय दिनांक 31.12.2007 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 08.09.2008 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.12.2007 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः निर्णय पारित करने हेतु परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

9. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2007 के व्यथित होकर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2007 व दिनांक 18.03.2008 को निरस्त करते हुए पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया । अर्थात् निर्णय दिनांक 31.12.2007 निरस्त हो चुका है । प्रतिवादी रस्पोडेन्ट ने इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय में धारा 144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त आराजी की 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का कथन किया था जिसे परीक्षण न्यायालय ने स्वीकार कर दिनांक 31.12.2007 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित किया है । धारा 144 सीपीसी का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार से है :– प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन – (1) "जहॉ कि और जहॉ तक कि किसी डिक्री या आदेश में किसी अपील, पुनिरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जावे, उसे उलटा जावे अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जावे या उपान्तरित किया जावे वहॉ और वहॉ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था, उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा जिससे पक्षकार, जहॉ तक हो सके, उस स्थिति में हो जाएंगे जिसमें वे होते यदि व डिक्री या आदेश या (उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या उपान्तरित किया गया है) न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो उस डिक्री या आदेश के ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप से पारिमाणिक है ।" परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.02.2009 में निर्णय पारित किया है कि– "अपीलीय न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को खारिज कर दिया । अतः स्वाभाविक रूप से निर्णय का प्रभाव समाप्त होने से रिकॉर्ड की भी निर्णय पूर्व की स्थिति होना उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाता है ।" हम विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2018 (1) पेज 383 से सहमत हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता

है । हम परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.02.2009 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 27.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा